रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2007.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 जुलाई, 2002/17 आषाढ़, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन, 13 जून, 2002

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (धारा-122)/2002-1093-1108—श्री सिरमौर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड पांवटा साहिब की पत्नी श्रीमती प्रमिला द्वारा पांचवा एक अतिरिक्त शिशु को दिनांक 25-9-2001 को जन्म दिया है । श्री सिरमौर सिंह ग्राम माजरा का उप-प्रधान है, जिस कारण उसके विरूद्ध धारा 122 (1) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम, 18, 2000) की धारा 19 द्वारा अंतःस्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी उचित होगी ।

उपरोक्त तथ्यों हेतु ग्राम पंचायत के रिकार्ड जन्म पंजीकरण रजिस्टर ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी श्री चतर सिंह के माध्यम से इस कार्यालय में तलब किया गया । जांच के पश्चात् पाया गया कि पांचवा अतिरिक्त शिशु श्री सिरमौर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा का होना पाया गया है, जिसका पंजीकरण जन्म पंजीकरण रजिस्टर के क्रमांक 99, दिनांक 30-10-2001 को चौकीदार की सूचना अनुसार पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु (ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी) ग्राम पंचायत माजरा द्वारा पंजीकरण कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि हो जाने के दृष्टिगत मैं, ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(2) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-122(1) में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-18, 2000) की धारा 19 द्वारा अन्तःस्थापित खण्ड "ण" के अन्तर्गत श्री सिरमौर सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत माजरा, विकास खण्ड पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को उनके पद पर बने रहने हेतु अयोग्य घोषित करता हूं तथा उक्त अधिनियम की धारा 131(2) के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त धारा की उप-धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत माजरा के उप-प्रधान पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

नाहन, 13 जून, 2002

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0-(धारा-122)/2202-1088-97.—श्री नन्द लाल, सदस्य, वार्ड नं0-9 सुरला-जनोट, पंचायत समिति पच्छाद, जिला सिरमौर के विरुद्ध प्राधिकृत अधिकारी, उप-मण्डलाधिकारी (ना0), राजगढ़ के समक्ष हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 162 के अन्तर्गत एक चुनाव याचिका दायर किया गया में उप-मण्डल अधिकारी (ना0), राजगढ़ द्वारा उक्त पदाधिकारी द्वारा गलत आधार पर प्राप्त किये गये अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत किये जाने के कारण उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया है । अतः उक्त पदाधिकारी को उसके पद पर अयोग्य घोषित करना अनिवार्य है।

अतः मैं ओंकार शर्मा (भा0 प्र0 से0)-उपायुक्त, जिला सिरमौर नाहन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (2) के अन्तर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 122 (1) में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या-18,2000) की धारा 19 द्वारा अन्तः स्थापित खण्ड "ढ" के अन्तर्गत अयोग्य घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 131 (1) (क) के अन्तर्गत श्री नन्द लाल, सदस्य, पंचायत समिति पच्छाद, वार्ड संख्या-9 सुरला जनोट के सदस्य पंचायत समिति पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

अधिसूचना

नाहन, 13 जुन, 2002

संख्या पी0 सी0 एन0-एस0 एम0 आर0 (5)/2002-137-47.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 एच0 एच0 ए0 (3) 13/94, दिनांक 22 दिसम्बर, 1995 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, ओंकार चन्द शर्मा, भा0 प्र0 से0, उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 126 के अन्तर्गत विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की पंचायत समिति पच्छाद के वार्ड नं0 8-काटली के रिक्त हुए सदस्य पद हेतु दिनांक 11-6-2002 को हुए उप-चुनाव में उक्त वार्ड हेतु निर्वाचित घोषित किये गये सदस्य श्री हेम राम कश्यप पुत्र श्री दीप राम, निवासी ग्राम मुन्दड, डाकघर ठाकुर द्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना जारी करता हूं ।

ओंकार चन्द शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित